परियोजना प्रबन्धन इकाई
पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम
उत्तराखण्ड शासन
पं0 दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन, नियर ओ0एन0जी0सी0 हैलिपैड
गढ़ी कैन्ट, देहरादून– 248003

Govt. of Uttarakhand

Uttarakhand
Simply Heaven!

फोन: 91-135-2559985, फैक्स: 91-135-2559985 ई–मेल: utdb.pmu@gmail.com

पत्रांक:1449/2–10/ए0डी0बी0/(आई0डी0आई0पी0टी0)/120/2019–20 दिनांक:30/07/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
इन्द्रा नगर, देहरादून।

विषय:– उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, मसूरी के पार्क एस्टेट (जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पर्यटन विकास हेतु उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, मसूरी के पार्क एस्टेट (जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव वन विभाग की भूमि हस्तांरण वेबसाईट में अपलोड किया गया था, जिसकी प्रस्ताव संख्या FP/UK/OTHERS/36509/2018 है।

उक्त के क्रम में समय–समय पर वन विभाग द्वारा आपत्ति लगायी गयी एवं उनका निराकरण किया गया। किन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्रांक संख्या 8बी/यू0सी0पी0/09/08/2020/एफ0सी0 216 दिनॉक 29.05.2020 में लगायी गयी आपत्ति में परियोजना के कार्य को अमान्य (Reject) किया गया है। जिस कारण लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण ऑनलाइन प्रेषित नही किया जा सका। आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव को पुनः वन विभाग के वेबसाइट में अपलोड किया गया है। जिसकी प्रस्ताव संख्या FP/UK/OTHERS/48097/2020 दिनांक 30.07.2020 है, पूर्व प्रस्ताव संख्या FP/UK/OTHERS/36509/2018 को वेबसाईट से प्रत्याहृत (withdraw) कर पुनः ऑनलाइन अपलोड प्रस्ताव संख्या FP/UK/OTHERS/48097/2020 दिनांक 30.07.2020 में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

अतः ए0डी0बी0 से सहायता प्राप्त परियोजना कार्यों के लिए परियोजना स्थल की भूमि पर आनपत्ति प्रामण पत्र प्रदान कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

भवदीय

(आर0 के0 तिवारी)
अपर कार्यक्रम निदेशक

प्रतिलिपि सादर को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वनप्रभाग, देहरादून, (उत्तराखण्ड) ।

(आर0 के0 तिवारी)
अपर कार्यक्रम निदेशक

Uttarakhand
Simply Heaven!

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिशद्
पं दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट–ओ0एन0जी0सी0 हेलीपैड, नींबूवाला गढ़ीकैन्ट, देहरादून।
फोन0न0–0135–2559898 फैक्स–2559988

पत्रांक सं0–930 /2–10/ए0डी0बी0/आई0डी0आई0पी0टी0/120/2019–20 दिंनाक 3 .07.2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन सरंक्षण
इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः– जनपद देहरादून के जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी में पर्यटन विभाग की भूमि पर पर्यटकों की सुविधा व पर्यटन विकास के लिए "जॉर्ज एवरेस्ट विरासत पार्क का विकास" हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र–2588/FP/UK/others/36509/2018 दिनांक 5 जून 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार Notified Forest Land MDDA पर किसी भी प्रकार की Commercial गातिविधि की अनुमति नही दिये जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत ऑनलाइन प्रस्ताव को अमान्य (Reject) कर दिया है।

- उक्त परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आप से अनुरोध है कि इस परियोजना के मुख्य उद्देश्यों जो कि हमारी ऐतिहासिक और प्राकृतिक संरक्षित धरोहर है, का आंकलन अवश्य करने का कष्ट करें। परियोजना साइट बहुत लंबे समय से उपेक्षित स्थिति में है और पिछले 3 दशकों से यह जीर्ण शीर्ण स्थिति में आ गयी है। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल /शोधर्थियों/वनविदों/पक्षी प्रेमियों/वैज्ञानिकों के आकर्षण का केन्द होने के कारण उत्तराखण्ड़ सरंकार द्वारा क्षेत्र को पर्यटक विभाग के अन्तर्गत विकसित करने को निर्देशित किया गया। **(संलग्न 1–4)** पर्यटकों के अनियंत्रित आवाजाही की वजह से चारो तरफ इस रमणीक साइट पर कूड़ा फैला हुआ है और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुँचता रहता है, साइट पर अनाधिकृत अतिक्रमण व अवैध खनन भी होता रहता है।

परियोजना का कार्य ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों के महत्व को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। जितना कि यह भारत की मानचित्रण की घटना का एक हिस्सा है, यह एक ऐसी साइट भी है जो घने देवदार और ओक के जंगलों के आकार में प्राकृतिक विरासत का ढेर है। परियोजना का कार्य सुरक्षा और संरक्षण के साथ–साथ इस ऐतिहासिक धरोहर को बढावा देना सुनिश्चित करेगी, जो अन्यथा अनियंत्रित पर्यटन के करण बर्बाद हो रहा है, जिसके कारण पूरे साइट पर ठोस कचरे का जमाव होता है। पेड़ों की शाखाओं को काटने, साइट में कचरें का जमाव होता है। पेड़ो की शाखाओं को काटने, साइट से पत्थरों के अवैध खनन और साइट को भी चारों तरफ से अतिक्रमण का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है :–
सर जॉर्ज एवरेस्ट ऐतिहासिक पार्क मसूरी का विकास :–

परिचय :–

- ब्रिटिश शासन काल सन् 1852 ई0 में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रि सर्वे आयोजित किया गया था तथा सन् 1800 ई0 में भारतीय उपमहाद्वीप की मैपिंग की गयी थी।

- सर जॉर्ज एवरेस्ट को सन् 1823 ई0 में अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया था, उन्हें सन् 1830 में भारत का सर्वेयर जनरल बनाया गया था। तत्पश्चात् 1843 में सेवानिवृत्त हुए और इंग्लैंड लौट गये।
- सन् 1832 ई0 के अंत में सर जॉर्ज एवरेस्ट को मसूरी में सर्वेयर कार्य की आवश्क व्यवस्था करने के लिए अधिकृत किया गया था एवं उनके कार्यालय को स्थापित किया गया था, जो बाद में देश को स्थानांतरित कर दी गयी थी। सन् 1833 ई0 में उन्होंने अपनी पढ़ाई और शोध तथा सर्वेक्षण के लिए पार्क एस्टेट, हाथीपांव में उनके लिए निवास स्थान बनवाया गया था। पार्क संपत्ति, लगभग 172.91 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, साथ ही कर्नल विलियम सैम्पसन व्हिस द्वारा सन् 1829–30 ई0 में मसूरी में विभिन्न प्रकार के एस्टेट की औपनिवेशिक स्थापना की जैसे पार्क एस्टेट, लेपर्स लॉर्ज, नॉर्थ पार्क एस्टेट और लंम्बी धार आदि।
- कार्यालय के कर्मचारियों के लिए आवास के साथ पार्क एस्टेट में सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया गया था। पार्क एस्टेट जॉर्ज एवरेस्ट का आवास और प्रयोगशाला बन गया। पार्क एस्टेट में मुख्यतः एक छोटी वेधशाला, व्यापक भंडारण सुविधाएं और आवासीय भवन भी निर्मित था।
- मुख्य भवन के आधार पर एक विशाल वर्षा जल संचयन टैंक था, जो कि मसूरी के नगर पालिका से मानचित्र की स्वीकृत लेनी इसकी एक अनिवार्य विशेषता थी।

सर जॉर्ज एवरेस्ट के कार्य,

सर जॉर्ज एवरेस्ट के काम का महत्व, जिसे अक्सर एशिया में भूगोल के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में वर्णित किया जाता है। इस तथ्य में यह भी निहित है, कि सर जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा कन्याकुमारी से मध्य भारत तथा मध्य से हिमालय तक जाने वाले महान मेरिडियल आर्च को मापा था, जिस पर देश का चक्र गणितीय गणना की जाती है।

- सर जॉर्ज एवरेस्ट सन् 1843 ई0 में सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड लौट गये।
- सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट का नाम भारतीय उप–महाद्वीप और हिमालय सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में रखा गया है।

वर्तमान के घटक –

- सर जॉर्ज हाउस।
- आउट हाउस।
- बैचलर हाउस।
- वेधशाला।
- कर्मचारियों के रहने के लिए आवास।
- वर्षा के जल संचय की संरचनाएं।
- सड़क एवं पैदल मार्ग।

जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि का स्वामित्व उत्तराखण्ड़ राज्य की स्थापना के उपरान्त सन् 9 नवम्बर, 2000 ई0 को (उत्तर प्रदेश की अन्य सभी पर्यटन संपत्तियों की तरह) उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को पर्यटन को विकसित करने के लिए सौंप दिया गया था। **(संलग्न 1–4)**

जनवरी सन् 1988 ई0 में राजपत्र उत्तर प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण–

- निजी वन संपदा के रूप में एस्टेट की अधिसूचना : केंद्र सरकार से 21–04–1966 **(संलग्न 5–6)**

- सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस एवं संरचनाओं का वर्ष 1980 से पूर्व की होने का नगर पालिका परिषद्, मसूरी प्रमाण पत्र संलग्न है, **(संलग्न 7–12)** पर्यटन विभाग में स्थानांतरित (नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद)। तारीखों और इतिहास में (प्राकृतिक और अप्राकृतिक) पर्यटन गतिविधियों को सुरक्षित रखने की योजना लोकप्रिय मसूरी शहर के हाथीपांव में एक विशाल रिज पर स्थित होने के कारण, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस एवं अन्य धरोहर जो आज खंडहरों के रूप में विद्यमान है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस (पार्क हाउस के रूप में भी जाना जाता है) और इसके आसपास के मैदान एक तरफ राजसी दून घाटी के निर्बाध मनोरम दृश्य को प्रदर्शित करता है, और दूसरी तरफ अगलार नदी घाटी और बर्फीली हिमालय पर्वतमाला का लुभावमान दृश्य है। इस जगह ज्यादातर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक स्थान है, जो कि पर्यटकों को अत्यधिक आकर्षित करता है, जिस कारण इस क्षेत्र में लगभग प्रति वर्ष 4–5 लाख पर्यटक आते हैं। हालांकि इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व से आज भी पर्यटक अनजान हैं, कि सर जॉर्ज एवरेस्ट एक दशक से अधिक समय तक इस निवास स्थान एवं कार्य केन्द्र में रहे है। एक ब्रिटिश सर्वेक्षक और भूगोलवेत्ता जिन्होंने सन् 1830 ई0 से सन् 1843 ई0 तक भारत के सर्वेयर जनरल के रूप में काम किया। जॉर्ज एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत के लिए जाना जाता है।
- माह जुलाई को हर साल पर्यटन विभाग द्वारा सर जॉर्ज एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है और पार्क एस्टेट परिसर में भारत के सर्वेक्षणों के माध्यम से महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले विभिन्न उपकरणों, मानचित्रों को प्रदर्शित करता है। वर्तमान में 04 जुलाई को एक कैम्प में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, यदि एक बार सर जॉर्ज एवरेस्ट के जीर्ण–शीर्ण एवं घर का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण किया जाय तो यह एक स्थायी संग्रहालय के रूप में बदल जाएगा जो कि हिमालय के नक्शानवीस और प्राकृतिक विरासत को समर्पित है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह पूरा क्षेत्र एक प्राकृतिक विरासत स्थल है। यहां देवदार और ओक के घने जंगलों के कारण यह प्राकृतिक संपदा है जो दून घाटी में कई नहरों को जन्म देती है।

  इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि जनता को शिक्षित किया जाए और ऐसे प्राकृतिक खजाने के महत्व और मूल्य के बारे में जागरूक किया जाय।

  वर्तमान में इस स्थल पर लाखों पर्यटकों का आवागमन होता है। अपंजीकृत पर्यटकों द्वारा कूड़े और बर्बरता के व्यापक फैलाव के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय गिरावट होती है, ठोस कचरें के उचित निपटान के लिए स्थल का दौरा एवं स्थल को लगभग संयुक्त रूप से विनियमित किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत नियमित रूप से साइट का दौरा और अपशिष्ट प्रबंधन किया जायेगा, जो कि इस स्थल के अतिक्रमण की समस्या को भी कम करने में भी मदद करेगा।

  यह परियोजना हमारे ऐतिहासिक हिमालयी पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के साथ–साथ प्राकृतिक जल को भी संरक्षित करेगी। निर्माण और संरक्षण के माध्यम से विकसित परियोजना से संबंधित घटक :

निम्नलिखित संरचना/घटक–

- एक कार्टोग्राफिक संग्रहालय सर जॉर्ज हाउस के रूप में बहाली/नवीकरण।
- प्राकृतिक विरासत और पूरानी तस्वीरों और मानचित्रों की गैलरी का प्रदर्शन करने के लिए प्रकृति व्याख्या केंद्र के रूप में बहाली/नवनीकरण आउट हाउस।
- रखरखाव कार्यालय के रूप में बहाली/नवीनीकरण बैचलर हाउस।
- खगोल विज्ञान के अवलोकन/अध्ययन के रूप में बहाली/नवीकरण वेधशाला
- संबंधित संरचना और निर्माण तकनीकों का उपयोग करने और अनुकूली पुनः उपयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्व गौरव को विरासत संरचना को बहाल करना।
- सभी संरचनाओं का निर्माण INTACH (इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज) दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

प्रस्तावित घटक मृदा संरक्षण में भी मदद करेंगे – विशेष रूप से ट्रेक मार्गो में, जो कुछ स्थानों पर स्लाइड करने और पर्यटकों के फिसलने और पहाड़ से नीचे गिरने का खतरा पैदा करते हैं। अन्य घटकों को भी क्षेत्र में स्वाभाविक

परियोजना का उद्देश्य इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत के महत्व को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है, चूँकि यह भारत की मानचित्रण परिघटना का एक हिस्सा है और साथ ही घने देवदार और बाँझ (ओक) के जंगलों से घिरे होने के कारण एक प्राकृतिक विरासत भी है।

परियोजना में निम्नलिखित विकास एवं संरक्षण संबंधित कार्य समाहित होंगे :

- ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासत स्थल का संरक्षण।
- वनस्पतियों और जीवों, विशेष रूप से घने जंगलों, देवदार एवं बांज वनों की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन।
- जॉर्ज एवरेस्ट पार्क सम्पदा के एक भाग में साइट में सुधार किया जा रहा है और देवदार एवं बांज वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्धन।
- उक्त स्थल को संग्रहालय और वेधशाला के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जायेगा।
- वेधशाला और अन्य वैज्ञानिक हस्तक्षेप का उपयोग शोधकर्ताओं, छात्र समूहों और पर्यटन संवर्धन गतिविधियों को बढावा देने के लिए किया जाएगा।
- उक्त स्थल को अतिक्रमण एंव प्रदूषण मुक्त स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा ।
- प्रबंधन और गतिविधियों को चलाने में प्रत्यक्ष रोजगार बनाए जायेगें।
- यह सर्वविदित है कि यह भवन शोधर्थियों/वनविदों/पक्षी प्रेमियों/वैज्ञानिकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है और आगे भी रहेगा। कुछ फाइबर (प्रीफेब वुड) हट्स का निर्माण आगंनतुको के रात्रि विश्राम हेतु किया जा रहा है। उक्त अस्थायी निर्माण के दौरान यह ध्यान रखा जायेगा कि क्षेत्र की जैव विविधता को कोई नुकसान न पहुँचे।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से पुनः भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून के ऐतिहासिक **व प्राकृतिक** धरोहर के संरक्षण एवं संवर्द्धन के दृष्टिगत प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय,

(सोनिका) आई.ए.एस
कार्यक्रम निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेशित।

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केद्रीय क्षेत्र) 25 सुभाश रोड, देहरादून।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी, जिला– देहरादून (उत्तराखण्ड)
5. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।

(सोनिका) आई.ए.एस
कार्यक्रम निदेशक

[illegible] 100 (प)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 30 जनवरी, 1988

[माघ 10, 1909 शक सम्वत्]

उत्तर प्रदेश सरकार

पर्वतीय विकास अनुभाग—[illegible]

संख्या 50/28–4–88–2(68)-85

लखनऊ, 30 जनवरी, 1988

अधिसूचना

प० आ०—161

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई और [illegible] उत्तर प्रदेश गजट, दिनांक 2 जनवरी, 1988 में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या 4963/28–4–[illegible]–2(68)–85, दिनांक 21 सितम्बर, 1987 के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात, जिला देहरादून में [illegible] के निर्माण के लिये आवश्यकता है और [illegible] उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन देहरादून के कलेक्टर को निदेश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये कार्यवाही करें।

2—चूंकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि [illegible] (अर्जेन्ट) है, इसलिये वे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यह [illegible] यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अधि-निर्णय नहीं दिया गया है, देहरादून के कलेक्टर उक्त [illegible] अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के [illegible] पर कर सकेंगे।

Village	Name of Estate	Approximate area
7	4	5
Mussoorie	Park Estate (Sir George Averest House). North—Park Estate Leopard Lodge Estate. South—Park Estate and Lumbi Dhar. East—Snowdon and cart Mankunji Road. West—Park Estate Land	Acres 172.91
	Total ..	172.91

For what purpose required—The development of Tourist place in district Dehra Dun.

NOTE—The site plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Dehra Dun.

By order,

SURENDRA MOHAN,

Principal Secretary.

सार्वजनिक निर्माण विभाग

15 अक्तूबर, 1987 ई०

सं० 813/46(41)एल(281)ओ एस डी/87—— भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् जिला नैनीताल में बेतालघाट स्टील गर्डर पुल पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये आवश्यकता है।

2—राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर उस सीमा तक लागू होते हैं जहां तक उक्त भूमि की, जो कृषि योग्य या बंजर है, उपर्युक्त सड़क के निर्माण के लिये अत्यन्त आवश्यकता है और इस आत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के अधीन जांच करने से होने वाले प्रस्तावित विलम्ब को न होने दिया जाय। अतएव, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी—अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गई है :

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. XLVI/46(41)-L(281)-OSD-87, dated October 15, 1987 for general information :

No. [illegible]/XLVI-L(281)-OSD-87

October 15, 1987

Under sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose, namely for construction of Approach Road to Steel Girder Motor Bridge near Betalghat in district Naini Tal.

2. Being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act are applicable to the said land inasmuch as the said lands which is waste or arable, is urgently required for construction of the aforesaid road and that in view of the pressing urgency, it is as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5-A of the said Act, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the said Act shall not apply:

अनुसूची/Schedule

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	खाता (प्लाट) संख्या Plot no.	लगभग क्षेत्रफल Approximate area	
1	2	3	4	5	
				नाली Nali	मुट्ठी Muthi
नैनीताल Naini Tal	धनियाकोट Dhaniya Kot	छापड़ Chaparh	1234	0	1
			1235	0	01
			1238	0	2
			1239	0	16
			1241	0	11
			1251	0	07
			1255	0	09
			1258	0	04
			1259	0	05
			1260	0	2
			1679	0	1
			1824	0	1
			1825	0	2
			1846	0	12
			1847	0	12
			1857	0	8
			1863	0	3
			1865	0	2
			1867	0	8
			1866	0	6
			1869	0	4
			1881	0	4
			2046	0	1
			2047	0	4
			2052	0	5
			2064	0	[illegible]
			2065	0	9
			2067	1	6
			[illegible]	0	10
			[illegible]	0	15
				1	3

अनुभाग—4

विविध

21 सितम्बर, 1987 ई0

सं0 4963/23-4-2 (68)-85—भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् देहरादून में पर्यटक स्थान के विकास के लिये आवश्यकता है।

2—चूंकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की जिला देहरादून में पर्यटक स्थान के विकास के लिये अत्यधिक आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जांच करने में संभावित विलम्ब को निवारित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

अनुसूची

जिला	परगना	ग्राम	इस्टेट का नाम	क्षेत्रफल
				एकड़
देहरादून	परवादून	मंसूरी	पार्क एस्टेट (सर जार्ज एवरेस्ट हाउस) उत्तर—पार्क एस्टेट लेपार्ड फाटेन एस्टेट दक्षिण—पार्क एस्टेट [illegible] पूर्व—[illegible] रोड पश्चिम—पार्क एस्टेट भूमि	172.91
			योग ..	172.91

लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—जिला देहरादून में पर्यटक स्थान के विकास के लिये।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साइट प्लान) देहरादून के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र मोहन,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4963/XXVIII—4—86—2(68)-85, dated September 21, 1987 for general information :

No. 4963/XXVIII- 4—86—2(68)-85

September 21, 1987

Under sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose, namely for the development of Tourist place in district Dehra Dun.

2. Being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act are applicable to the said land inasmuch as the said land which is urgently required for development of Tourist place in district Dehra Dun and that in view of the pressing urgency it is as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5-A of the said Act, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the said Act shall not apply :

SCHEDULE

District	Pargana	Village	Name of Estate	Approximate Area (in acres)
1	2	3	4	5
Dehradun	Pachhwadun	Mussoorie	Park Estate (Sir George Averest House) *North* : Park Estate Leopard Lodge Estate. *South* : Park Estate and Lambidhar. *East* : Snowdon and Cart Mackenji Road. *West* : Park Estate Land.	172.91 acres
			Total	172.91 Acres

For what purpose required:—Development of Tourist Place in District Dehradun.

NOTE : A site plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Dehradun/ Dy./Special Land Acquisition Officer, Dehradun.

By order,
R. K. DAR,
Pramukh Sachiv.

K.

SPL Land Acquisition Officer
[illegible] Dehra Dun

Land Acquisition Officer
DEHRA DUN.

[illegible]

No 2361/XIV B- 394-60

21-Apr-66

In the exercise of the powers under clause (3) of section 3 of the U.P. private forest act, 1948(U.P. Act no VI of 1949), and in partial modification of government notification no 1927/XIV—134-47, dated June 3, 1949, the governor of U.P is pleased to declare all the lands comprised in the private estates as shown in the Schedule below, situated within the municipal limits of city board, Mussoorie, in district Dehradun, to be forests for the purpose of the said Act:

Schedule:

Sl no	District	Tahsil	Pargana	Name of the forest state.		Area in acres	Remarks.
1	2	3	4	5		6	7
165	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	(i)East Wood House.-2 (ii) Do. Shisha-1 (iii) Hill caven2 (iv) Sunny Wood-3	B	8.00	North: Wood Stock Estate.South: Fir Clump.North-East: Mussoorie-Tehri Motor Road.West: Cantonment Board.
7	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Abbey Estate	D	86.65	North: A Non-metalled road forming boundary between Vermount Hollow Oak & Kandi Lodge & Abhey Estate. East: Part of Sangrilla Estate & some shops.South: Sangrilla Estate.West: Snowdene & Kandi lodge.
4	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Air Field Cottage	B	17.34	North: Beehive Cottage. East: Company Khad. South: Ann Field House. West: Cantt Forest.
3	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Air-Field Estate	B	13.00	North: Part of ClaireVille Estate.East: Brook Land Estate.South: Sikendar Hall Estate separated by boundary pillars.West: Boundary pillars
130	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Airy Land Estate. (aprox)	M	9.00	North Camel's Back Road. South: Amba Villa & Mungiya Bhawan. East& North-East: Rest Heaven & Shyam Bhawan. West & North-West: Chand Villa & Dilkusha.
1	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Albergeldie	B	5.00	North: Cantonment Landour. East: A small nala separating wood stock.South: A road separating wood stock property.West: A small ravine separating community hospital.
107	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Alice Mount Estate.	M	1.00	North-West: A Nala separating P.W.D. Inspection House. South: Nala East: Confluence of Nalas. West: Ville Charle Road.
156	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Anand Bawan (Landour)	B	0.25	North: Deven Shire Cottage.South: Church.East: Road.West: Wall.

62	*Dehradun*	*Dehradun*	*Pachwadun*	*Park Estate (part)*	D	89.10	*West& North-West: Clover Kacher Estate. East: A Small revine separating Leopard Estate. South: Park Estate of Shah family separated by a Nala. West: Park Estate of Sri Chiranji Lal separated by a Nala North: Dudhali Road.*
89	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Park Estate(part)	D	240.00	North: Park Estate (part) belonging to Sri Dev Raj Gupta & leopard Estate. South: Konda Estate. East: Snowdene Estate. West: Park Estate (part) belonging to Sri Ciranji Lal & Hartharadene (part) belonging to Messrs. Kahansons & Co.
54	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Patiala Estate	B	40.00	North: Fair Lawn Estate separated by a Nala. South: Water Conservation area of the City Board Dehradun Kolukhet & Khala Gaon separated by boundary pillars. East: Oak Grove School & Makreti Gaon Waste land. West: Fair Lawn Estate separated by boundary pillars.
55	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Pine Point Estate	B	15.00	North: A path separating Cantonment Forests. East: A Nala separating Jaskot Estate. South: Mussoorie –Tehri Road. West: A Nala separating Pennington Estate.
190	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Pratap Bhawan Estate.	M	1.00	North: Ride of Gin Hill.South: Vishwa Villa & part of Castle Tre.East: Stewart Villa & part of Castle Tre.West: Gun Hill Slope & Vishwa Villa.
115	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Prem Niketan	M	0.50	North: Modi Bhawan Premises. South: Kamala Castle Road. South-East: Modi Bhawan. North-West: Kamala Castle Road.
56	Dehradun	Dehradun	Pachwadun	Prince Hotel	M	5.00	North: India Hotel P&T Holiday Home & Duggal Ville. South: George Head & Mall View. East: Kashmir Hotel. North-East: Snow View Hotel separated by approach path. West: Library Maszid & the Flour Mill.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मसूरी।

पंत्राक:–ME/MO/नि0वि0/2018–19 दिनांक:–M/M 29/8/18

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जार्ज एबरेस्ट भवन/भूमि वर्ष 1980 से पूर्व पालिका के कर विभाग के अभिलेखो अनुसार श्री आर0सी0शाह व अन्य के नाम दर्ज थी, तथा वर्तमान मे वर्ष 1980 के बाद पालिका के कर विभाग के अभिलेख मांग सं0 389/4 मे जार्ज एबरेस्ट भवन/भूमि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद कार्यालय के नाम दर्ज है।

(आदित्य शाह)
मानचित्रकार,
नगर पालिका परिषद, मसूरी।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मसूरी।

पंत्राकः— 1070 /नि0वि0 / 2018—19 दिनांकः— 20/08/18

सेवा मे,

निदेशक / कार्यालध्यक्ष,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,
निकट—ओ0एन0जी0सी0 हेलीपैड, नांबूवाला गढ़ीकैन्ट,
देहरादून।

विषयः— जनपद देहरादून के जार्ज एबरेस्ट मसूरी मे पर्यटन विभाग की भूमि पर पर्यटको की सुविधा व पर्यटन विकास के लिए "जार्ज एबरेस्ट विरासत पार्क का विकास" हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पंत्राक सं0 1671 / 2—6—401 / 03 दिनांक 13—08—2018 के द्वारा जार्ज एबरेस्ट विरासत पार्क का विकास हेतु निम्नलिखित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको विन्दुवार प्रेषित की जा रही हैः—

1. प्रमाणित किया जाता है कि जार्ज एबरेस्ट / पार्क हाउस मौजूदा इमारत पालिका अभिलेखो वर्ष 1943 के मानचित्र के अनुसार वर्ष 1980 से पूर्व निर्मित है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि का स्वामित्व वर्तमान मे पालिका के कर विभाग मे मांग सं0 389 / 4 मे उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद, के नाम से दर्ज है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि जार्ज एबरेस्ट भवन का लैण्डयूज पालिका अभिलेखा मे दर्ज नही है।
4. जार्ज एबरेस्ट / पार्क हाउस भूमि के मानचित्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, मसूरी।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मसूरी।

दूरभाष सं0 – 0135–2632251, फैक्स सं0 – 0135–2632039
ई मेल –nppmussoorie@gmail.com

पत्रांक 116/नं0 / अधि0अधि0/2018–19, दिनांक 31/08/18

सेवा में,

वन संरक्षक विशेषज्ञ,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,
पं0 दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट ओ0एन0जी0सी0 हेलीपैड नीबूवाला,
गढ़ी कैन्ट, देहरादून।

विषय :– जनपद देहरादून के जॉर्ज ऐवरेस्ट मसूरी में पर्यटन विभाग की भूमि पर पर्यटकों की सुविधा व पर्यटन विकास के लिये जॉर्ज ऐवरेस्ट विरासत पार्क के विकास हेतु वन विभाग को अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 – 6747/2–10/ए0डी0बी0/आई0डी0आई0पी0टी0/120/2018–19 दिनांक 23–08–2018 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी के मौखिक निर्देशानुसार पालिका मानचित्रकार के द्वारा उपरोक्त स्थल का आज दिनांक 29–08–2018 को पार्क स्टेट (जॉर्ज हाउस) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त खण्डहर/भवनों की छत, दीवारें क्षतिग्रस्त हो रही है तथा स्थल पर समस्त खण्डहर/भवनों की प्लिंथ का क्षेत्रफल निम्नवत् है :–

1– मुख्य भवन – 290.00 वर्ग मी0
2– आउट हाउस – 50.00 वर्ग मी0
3– आउट हाउस – 74.00 वर्ग मी0
4– आउट हाउस – 9.00 वर्ग मी0
5– ऑबजरवेटि – 24.00 वर्ग मी0

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मसूरी।

SITE PLAN OF PARK ESTATE

Showing Proposed Shed. 54'x34'

Scale 6 inches to A. Mile

AREA = 491.20 ACRES

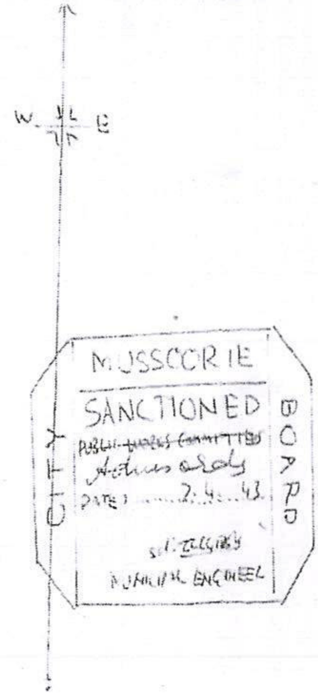

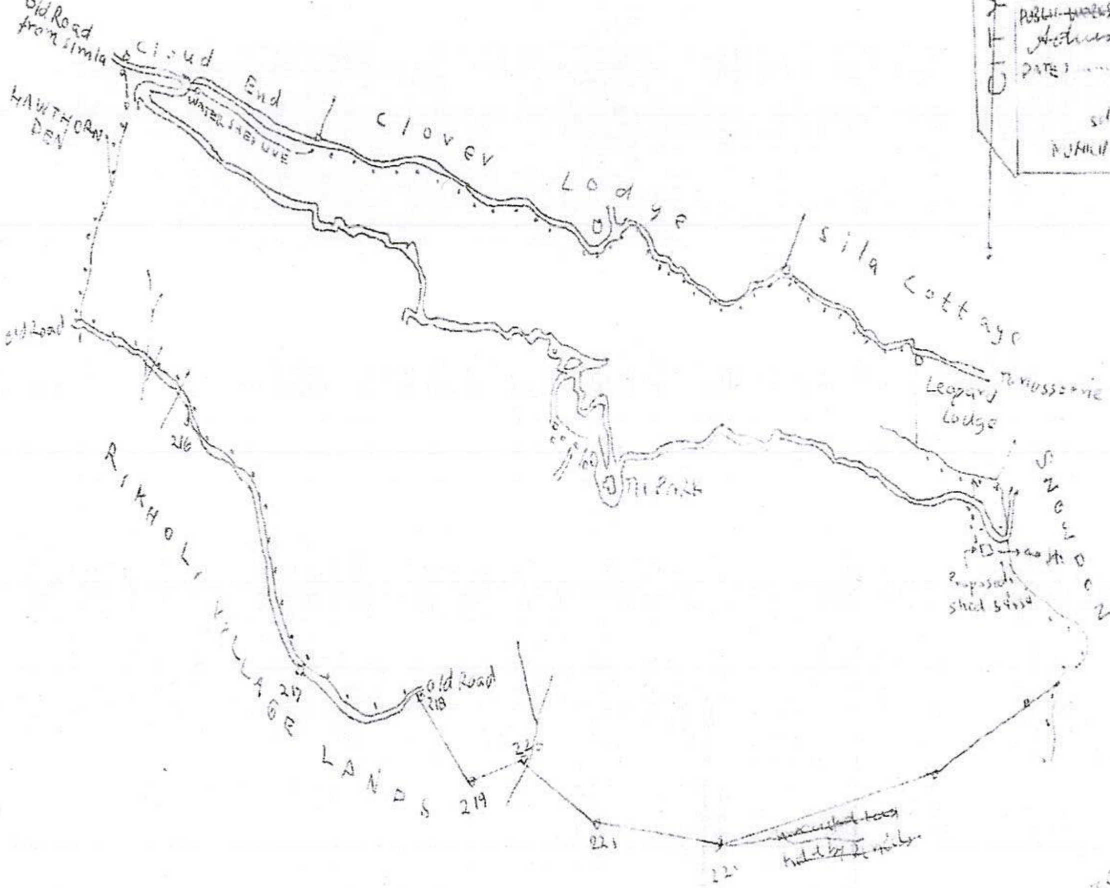

12-3-43

Draughtsman

City Board, Mussoorie

जोशी एवरेस्ट स्टेट मे (प्रदीप नववी) की नपत मय नजरी मानचित्र

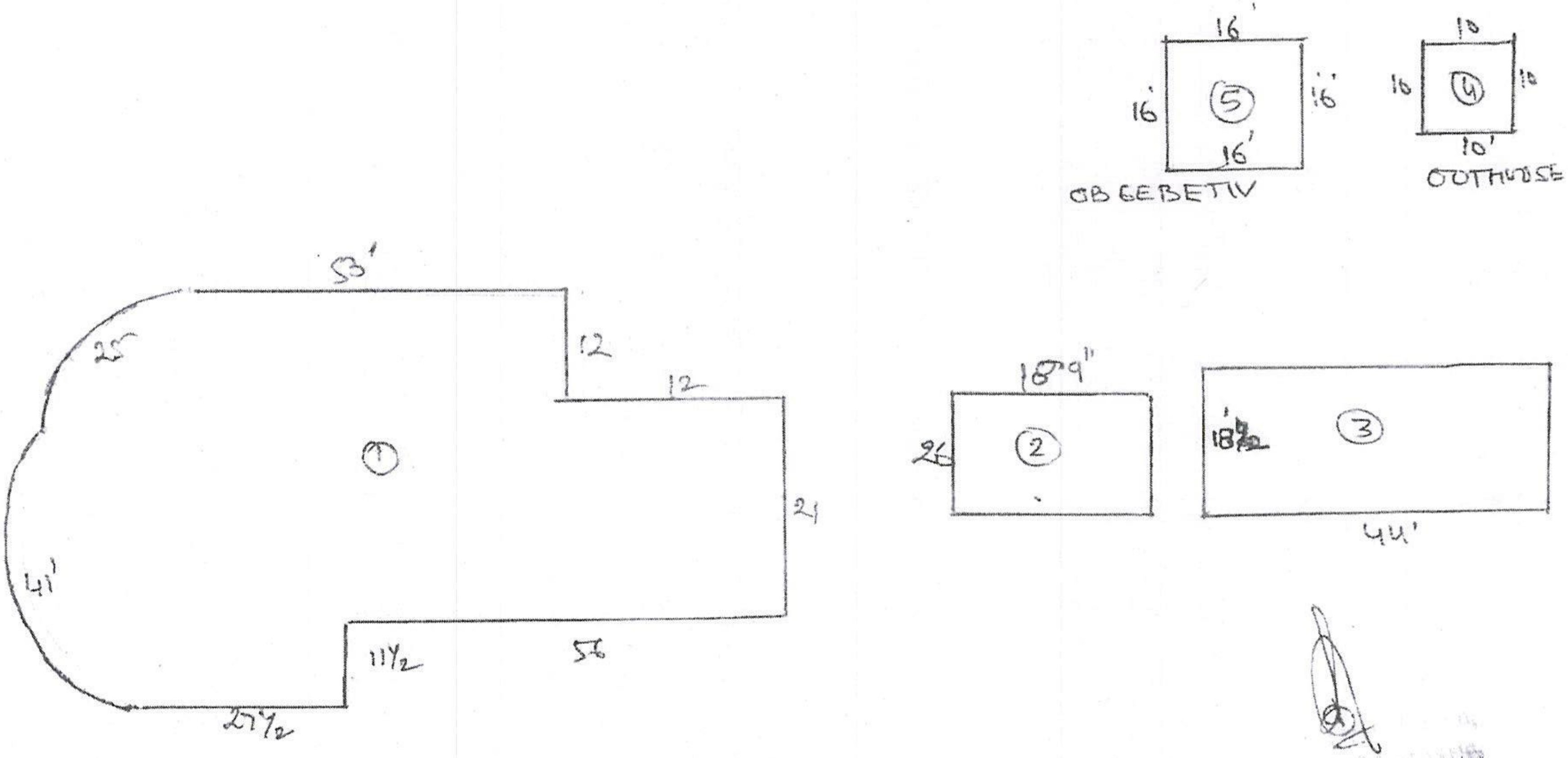

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, मसूरी।

दूरभाष संख्या:–0135–2632251 फैक्स संख्या 0135–2632039
ई–मेल:– nppmussoorie@gmail.com

पत्रांक:– 2933 / अ0अ0 / 2019–20 दिनांक:– 02/03/202

सेवा में,

श्री आर0के0 तिवारी,
अपर कार्यक्रम निदेशक,
पर्यटक संरचना विकास निवेश कार्यक्रम(ए0डी0बी0),
पं0 दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
गढी कैन्ट, देहरादून।

विषय:– जनपद देहरादून के जार्ज एवरेस्ट मसूरी मे पर्यअन विभाग की भूमि पर पर्यअकों की सुविधा पर्यटन विकास के लिए जार्ज एवरेस्ट विरासत पार्क का निर्माण हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0–8832 / 2–10 / ए0डी0बी0 / आई0डी0आई0पी0टी0 / 120 / 2019–20, दिनांक 05 / 02 / 2020 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पालिका द्वारा उक्त स्थल पार्क स्टैट(जॉर्ज हाउस) का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के उपरान्त स्थल पर वर्ष 1980 से पूर्व की भवन संरचना के अतिरिक्त पुराने भवन ढांचे की नीव प्राप्त हुई उक्त नीव की प्लिंथ एरिया निम्नवत है:–

1. 43.3X21.3=922.29 sq.ft.
2. 43.4X17.4=750.82 sq.ft.
3. 44.2X18.4=813.28 sq.ft.
4. 39.8X17.4=692.52 sq. ft.

Total=3178.61 sq.ft.

तथा मुख्य भवन जार्ज हाउस से लगी दीवार 304.6×7 ऊचाई(फीट), आउट हाउस के साथ मार्ग पर दीवार 191.0×5 ऊचाई(फीट) पार्क हाउस के साथ वाले मार्ग के प्रारम्भ पर दीवार 358.0×7 ऊचाई(फीट) है।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, मसूरी।